

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण (मुख्यालय),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक/003-बी0एच0क्यू0/836/पि0व0क0/अधि0आ0/2016-17 दिनांक: 30 अगस्त, 2016

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या 79 के लेखाशीर्षक: '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान' मद में धनराशि का आवंटन।


महोदय,

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में अधिष्ठान मद में शासन के आदेश संख्या- 6/2016/188/64-2-2016-1(01)/2016 दिनांक 20 अप्रैल, 2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से संलग्न विवरण के अनुसार निदेशालय मुख्यालय कार्यालय को रू0 1,18,30,000.00 (रूपया एक करोड़ अठारह लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवम् प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-


- 1- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवम् व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दी गयी शर्तों/दिशा निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्षक '2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-आयोजनेत्तर-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालय' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 3- आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष तक सुनिश्चित किया जाये। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 4- आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाये।
- 5- समय-समय पर निर्गत मितव्ययिता संबंधी आदेशों का पालन विशेष रूप से किया जाय। यह उल्लेखनीय है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितांत आवश्यक है। अतः यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, टेलीफोन पर व्यय एवं मोटर गाड़ियों के अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद की मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता किये जाने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या : 2163/10सचि0/(1)/91, दिनांक 10-12-1991 में उल्लिखित निर्णयों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये। कृपया इन मदों में बचत एवं उपभोग की सूचना यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 6- कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की 10 तारीख तक, बी0एम0-8 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय। इस विवरण में कोषागार बारूचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

- 7- आहरण वितरण अधिकारी को अगली बार बजट तभी आवंटित किया जायेगा जब उपर्युक्तानुसार बी0एम0-8 में सूचना प्राप्त हो जायेगी।
- 8- आबंटित धनराशि का व्यय आपके कार्यालय में स्वीकृत कर्मियों की संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।
- 9- यदि बी0एम0-8 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई घटना होने पर संबंधित आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- 10- यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
- 11- एक बार धनराशि समर्पित कर दिये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जा सकेगा। समर्पण के बाद बिना अनुमति के यदि कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है, तो इसके लिए आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
- 12- कोषागार से आहरित धनराशि का नियमानुसार पूरा लेखाजोखा रखना अनिवार्य होगा।
- 13- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही सम्पूर्ण, मुख्य, उप-मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में अंकन में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से 'आयोजनेत्तर' शब्द अवश्य अंकित किया जाय, जिसके लिए रबड की मोहर अधिक श्रेयस्कर होगी।
- 14- बजट की किसी ऐसी प्राथमिक इकाई या लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाय, जिसके लिए बजट में प्राविधान नहीं है।
- 15- व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथियों तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।
 - 1- मासिक व्यय विवरण आगामी माह की दस तारीख तक।
 - 2- प्रारम्भिक/व्ययाधिक्य तथा बचत का विवरण दिनांक 15.10.2016 तक।
 - 3- व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15.12.2016 तक।
 - 4- वर्ष 2016-17 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव दिनांक 15.01.2017 तक।
 - 5- वर्ष 2016-17 में समर्पण यदि कोई हो, की सूचना दिनांक 15.02.2017 तक।
 प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 02 पर अंकित है।

भवदीय,



(सुषमा रानी)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी


(सुरेश चन्द्र तिवारी)
निदेशक

पृ0सं0: 003-बी0एच0क्यू0 / 836 / पि0व0क0 / अधि0आ0 / 2016-17 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उ0प्र0 शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनु0-2
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- बिल लिपिक/नाजिर, मुख्यालय।


(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017
आवंटन दिनांक-22/08/2016

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-

003-BHQ

अनुदान संख्या:-

79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:-

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े(आयोजनेतर-मतदेय)

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - मुख्यालय/मंडलीय/जिला कार्यालय

(धनराशि रु. में)


S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	02-मजदूरी	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	13-टेलीफोन पर व्यय	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	18-प्रकाशन	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	45-अवकाश यात्रा व्यय	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	49-चिकित्सा व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4701-निदेशक, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	3420000 7420000	1000000 1900000	4465000 9465000	800000 1200000	100000 300000	25000 175000	850000 1850000	150000 150000	200000 200000	20000 20000	300000 500000	500000 800000	11830000 23980000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3420000 7420000	1000000 1900000	4465000 9465000	800000 1200000	100000 300000	25000 175000	850000 1850000	150000 150000	200000 200000	20000 20000	300000 500000	500000 800000	11830000 23980000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया एक करोड़ अठारह लाख तीस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया दो करोड़ उनचालीस लाख अस्सी हजार


(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
12